न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 26/2014 (बांसवाड़ा डिकी)

1. श्री मणिया उर्फ मणिलाल पुत्र श्री शंकर भील निवासी ग्राम मोर चांदु का वेला तहसील गनौड़ा जिला बांसवाड़ा (राज0)
2. श्रीमती शान्ति पत्नी गौतम भील निवासी ग्राम मोर चांदु का वेला तहसील गनौड़ा जिला बांसवाड़ा (राज0)
3. श्रीमती कालू पत्नी गौतम भील निवासी ग्राम मोर चांदु का वेला तहसील गनौड़ा जिला बांसवाड़ा (राज0)
4. श्री महेन्द्र पिता गौतम भील निवासी ग्राम मोर चांदु का वेला तहसील गनौड़ा जिला बांसवाड़ा (राज0)

.... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री हकजी पिता हरजी भील निवासी ग्राम मोर तहसील गनौड़ा जिला बांसवाड़ा (राज0)
2. श्री जीवा पिता धारजी भील निवासी ग्राम मोर तहसील गनौड़ा जिला बांसवाड़ा (राज0)
3. श्री प्रकाश पिता धारजी भील निवासी ग्राम मोर तहसील गनौड़ा जिला बांसवाड़ा (राज0)
4. श्री रमण पिता धारजी भील निवासी ग्राम मोर तहसील गनौड़ा जिला बांसवाड़ा (राज0)
5. श्री हमीरा पिता पूंजिया भील निवासी ग्राम मोर तहसील गनौड़ा जिला बांसवाड़ा (राज0)
6. श्री विरजी पिता पूंजिया भील निवासी ग्राम मोर तहसील गनौड़ा जिला बांसवाड़ा (राज0)
7. श्री नाथू पिता पूंजिया भील निवासी ग्राम मोर तहसील गनौड़ा जिला बांसवाड़ा (राज0)

8. श्री वेस्ता पिता कचरिया भील निवासी ग्राम मोर तहसील गनौड़ा जिला बांसवाड़ा (राज0)
9. श्री मनु पिता कचरिया भील निवासी ग्राम मोर तहसील गनौड़ा जिला बांसवाड़ा (राज0)
10. श्री नगजी पिता केवजी भील निवासी ग्राम मोर तहसील गनौड़ा जिला बांसवाड़ा (राज0)
11. श्री कालिया पिता केवजी भील निवासी ग्राम मोर तहसील गनौड़ा जिला बांसवाड़ा (राज0)
12. श्रीमान तहसीलदार गनौड़ा जिला बंसावाड़ा

.... रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड
अधिकारी घाटोल दिनांक 09—04—2014 प्रकरण
सांख्या 23/2012 राजस्व वाद

———/———

उपस्थित :—1— श्री यशपाल गुप्ता अभिभाषक अपीलान्ट्स
2— श्री संजय त्रिवेदी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 11
3— राजकीय अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या—12

—————————

निर्णय **दिनांक 25—01—2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी अपीलान्ट द्वारा प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध घोषणात्मक वाद पेश कर निवेदन किया कि वादी संख्या—1 मणिया को दिनांक 1—5—1989 को खसरा नंबर 10 में 6 बीघा तथा वादी संख्या 2 से 4 के पूर्वाधिकारी गौतम को भी इसी दिनांक को इसी आराजी से 6 बीघा भूमि आंवटित की गई, जिस पर वे पूर्व से ही काबिज थे। उपरोक्त वादीगणों को आवंटित आराजीयात के आवंटन बाद नये नंबर 559/10 (वादी संख्या—1), 558/10 (वादी सेख्या—2 से 4) बने। प्रतिवादीगण को आराजी संख्या 464/10 आवंटित हुई, परन्तु उनकी पेमुदगी नहीं होने से वादीगण के नये नंबर 655

की पेमुदगी प्रतिवादीगण की भूमि पर कर दी गई, जो विधि विरूद्ध है। वादी की मांग एवं राहत यह है कि खसरा नंबर 655 रकबा 1.81 हैक्टर भूमि की पेमुदगी वर्तमान खसरा नंबर 423, 424, 425, 427, 428 व 429 के स्थान पर किये जाने तथा वादीगण के खसरा नंबर 655 को प्रतिवादी के उपरोक्त सर्वे नंबर की पेमुदगी किये जाने के आदेश दिया जाये।

अधिनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त वाद प्रस्तुत होने के बाद प्रकरण में प्रतिवादीगण का जवाब का अवसर बन्द होने के बाद प्रकरण में वादी की साक्ष्य उपलब्ध के आधार पर आधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 9—4—2014 से वादी का वादी इस आधार पर खारिज कर दिया कि साबिक आराजी नंबर 464/10 का खातेदार कोन था, इसकी स्पष्टता नहीं है।

अधिनस्थ न्यायालय के उपरोक्त निर्णय से रूष्ट होकर वादी अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 4—8—204 को पेश की।

अपील के साथ दफा—5 जाब्ता मयाद का आवेदन व शपथ पत्र पेश किया। न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या—1 से 11 की और से अधिवक्ता श्री संजय त्रिवेदी ने उपस्थिति दी, परन्तु दौराने बहस अनुपस्थित रहें। रेस्पोन्डेट संख्या—12 सरकार की और से उपस्थित औपचारिक पक्षकार राजकीय अधिवक्ता ने गुणावगुण आधार पर निर्णय पारित किये जाने की प्रार्थना की।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अपीलान्ट व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद दौराने अपील अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा आराजी संख्या 464/10 की जमाबन्दी सम्वत् 2038—41, खाता संख्या 46 में उपरोक्त आराजी प्रतिवादीगण के नाम ही अपीलान्ट वादी के कथनानुसार स्थित है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सिर्फ उक्त जमाबन्दी की नकल उपलब्ध नहीं होने के कारण वाद खारिज कर दिया है, जबकि उक्त साबिक आराजी नंबर 464/10 अपीलान्ट वादी के कथनानुसार प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट के खातेदारी में होना प्रमाणित है। अधिनस्थ

न्यायालय द्वारा उपरोक्त रिकार्ड तलब कर नातिक (फाईनल) निर्णय पारित करने के स्थान पर तकनीकी रूप से सम्भावना आधार पर वादी अपीलान्ट का वाद खारिज किया है, जो स्पष्टतया न्यायिक निर्णय नहीं है तथा निर्णय तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायाल का निर्णय व डिक्री दिनांक 9–4–2014 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा आराजी नंबर 464/10 की प्रमाणित प्रतिलिप रेकार्ड पर लेकर तथा वांछनीय होने पर उभयपक्ष की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तलब कर उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित करें।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25–01–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर